

लैंगिक हिसा से नपिटने से संबंधित नैतिक अनविार्यताएँ

महिलाओं की सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण नैतिक अनविार्यता है, जो न्याय, समानता और मानवीय गरमा को बनाए रखने के लिये केंद्रीय है। आधुनिक समाजों में, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना कानूनी या राजनीतिक चिंताओं से परे है, जो गहन नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को प्रणालीगत हिसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जो न केवल उनकी गरमा को कम करता है बल्कि असमानता को भी संदर्भित करता है। सार्वभौमिक मानवाधिकारों और नैतिक अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि हेतु इन अन्यायों को संबोधित करना आवश्यक है।

महिलाओं के खिलाफ हिसा का जारी रहना सामाजिक मूल्यों, लैंगिक मानदंडों और ऐसे व्यवहार को सक्रम या मौन रूप से समर्थन देने वाली संरचनाओं के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। यह हमारे सामूहिक नैतिकता को चुनौती देता है और नैतिक सिद्धांतों की गहन जाँच की मांग करता है जो इस संकट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना चाहिये।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नैतिक दायित्व में हिसा और उत्पीड़न मुक्त वातावरण का निर्माण, समान अवसरों को बढ़ावा देना तथा सम्मान एवं सहानुभूति को बढ़ावा देना शामिल है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भय के जीवन जीने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिये। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने से दूरगामी सामाजिक लाभ होते हैं, जसमें आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि शामिल है।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिये व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं की सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देना, पीड़ितों का समर्थन करना और प्रभावी नीतियों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। महिलाओं की सुरक्षा का मतलब केवल आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि उन मौलिक मानवीय मूल्यों को बनाए रखना है जो हमारी सामूहिक मानवता और नैतिक प्रगति को परिभाषित करते हैं।

महिला सुरक्षा के लिये रूपरेखा में नैतिक विचार क्या हैं?

- **मानव की गरमा और अधिकार:** प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, में अंतर्निहित मूल्य और गरमा होती है जसका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिये।
 - महिलाओं के वरिद्ध हिसा मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जसमें व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है।
 - महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में मानव गरमा के सिद्धांत को सुनिश्चित करना समाज का नैतिक दायित्व है, जसमें न केवल हिसा को रोकना शामिल है, बल्कि ऐसा वातावरण विकसित करना भी शामिल है जहाँ महिलाएँ बिना किसी भय के रह सकें और आगे बढ़ सकें।
- **स्वायत्तता और स्वतंत्रता:** महिलाओं के वरिद्ध हिसा उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रतिबंधित करती है तथा शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक भागीदारी में उनके विकल्प सीमित करती है।
 - नैतिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यह अतिक्रमण महिलाओं के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन है।
 - समाज को व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति सम्मान और सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने की नैतिक चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- **समानता और गैर-भेदभाव:**
 - समानता का सिद्धांत महिलाओं के वरिद्ध हिसा के नैतिक विचारों के लिये मौलिक है। ऐसी हिसा लैंगिक असमानता का कारण और परिणाम दोनों हैं।
 - समाज का नैतिक दायित्व है कि वह इस हिसा के मूल कारणों को संबोधित करे, जसमें भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, प्रथाएँ और संरचनाएँ शामिल हैं। इसमें गहराई से जड़ जमाए हुए सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं को चुनौती देना शामिल है, जो लैंगिक असमानता को बनाए रख सकते हैं।
- **राज्य का उत्तरदायित्व:** राज्यों का यह मूल नैतिक दायित्व है कि वे अपने नागरिकों को नुकसान से बचाएँ, जसमें महिलाओं के वरिद्ध हिसा को रोकने हेतु कदम उठाना, अपराधियों पर मुकदमा चलाना तथा पीड़ितों को सहायता सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।
 - राज्यों के लिये नैतिक चुनौती इस ज़िम्मेदारी को गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के सम्मान के साथ संतुलित करने में नहिती है।
 - महिलाओं के वरिद्ध हिसा से नपिटने में राज्य की नषिक्रयिता के गंभीर नैतिक नहितार्थ हैं, क्योंकि यह जनसंख्या के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल है।
- **सामुदायिक उत्तरदायित्व:** समुदायों का यह नैतिक दायित्व है कि वे महिलाओं के वरिद्ध हिसा को बढ़ावा देने या नज़रअंदाज़ करने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर महिलाओं के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें।

- इसमें सम्मान और समानता की संस्कृतिको बढ़ावा देना तथा लगे आधारित हिसा में योगदान देने वाले सांस्कृतिक मानदंडों को संबोधित करना शामिल है।
- नैतिक दृष्टि से, यह समस्याजनक है जब राजनेता सहित अन्य लोग महिलाओं के वरिद्ध हिसा के बारे में असंवेदनशील टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि इससे अपराध का महत्त्व कम हो जाता है और पीड़ितों को गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है।
- महिलाओं के वरिद्ध हिसा की स्थिति में उपस्थित लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिनमें **हिसा के खिलाफ आवाज उठाना और पीड़ितों को समर्थन प्रदान करना शामिल है।**
- **संस्थागत ज़िम्मेदारियाँ:**
 - **शैक्षिक संस्थानों की** नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे सहमत, स्वस्थ संबंधों और लैंगिक समानता के बारे में शिकायतें प्रदान करें।
 - **कार्यस्थलों पर** उत्पीड़न और भेदभाव मुक्त वातावरण का सृजन किया जाना चाहिये तथा हिसा की घटनाओं से निपटने हेतु स्पष्ट नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ होनी चाहिये।
 - **स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को** मरीजों की गोपनीयता का सम्मान करते हुए महिलाओं के वरिद्ध हिसा के मामलों पर प्रतिक्रिया देने की नैतिक चुनौती का सामना करना पड़ता है।

महिला सुरक्षा पर सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण क्या हैं?

- **भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण:** महिलाओं की सुरक्षा पर भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्राचीन ग्रंथों में गहराई से नहित है। उदाहरण के लिये मनुस्मृति में कहा गया है, " यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" ("जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता नविस करते हैं), जिसमें **महिलाओं के सम्मान को दैवीय उपस्थितिके प्रतीक के रूप में महत्त्व दिया गया है।**
 - इसी प्रकार, **महाभारत और रामायण में** महिलाओं की सुरक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें द्रौपदी और सीता की कहानी महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा को बनाए रखने में वफिल रहने के गंभीर परिणामों को रेखांकित करती है।
- **धार्मिक दृष्टिकोण:** कई धार्मिक परंपराएँ सम्मान और समानता को बढ़ावा देती हैं, लेकिन कुछ अनुष्ठानों तथा व्याख्याओं का उपयोग महिलाओं के वरिद्ध हिसा को उचित या उसे सही ठहराने के लिये किया जाता है।
 - धार्मिक नेताओं की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसी व्याख्याओं को संबोधित करें जो महिलाओं के वरिद्ध हिसा को बढ़ावा देती हों तथा ऐसी व्याख्याओं को बढ़ावा दें जो **सम्मान, समानता और अहिसा पर जोर देती हों।**

आगे की राह

- **नैतिक शिक्षा और लगे संवेदीकरण:** नैतिक शिक्षा और लगे संवेदीकरण महिलाओं की सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण है।
 - **कम उम्र से ही सम्मान, समानता और सहानुभूतकी भावना** पैदा करके, ये दृष्टिकोण लगे आधारित हिसा तथा भेदभाव की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं एवं **महिलाओं के लिये समझ, सम्मान और सुरक्षा की संस्कृतिको बढ़ावा देते हैं।**
- **नैतिक हस्तक्षेप और समर्थन:** हिसा के समय हस्तक्षेप करना और पीड़ितों को समर्थन प्रदान करना नैतिक अनिवार्यता है।
 - हस्तक्षेप रणनीतियों में **पीड़ितों की सुरक्षा** और आरोपी अपराधियों के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिये तथा जोखिम में पड़े लोगों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करते हुए **उचित प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिये।**
 - उदाहरण के लिये, सहायता सेवाओं को पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना तथा पीड़ितों की **आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये, जिससे निर्भरता कम हो तथा महिलाओं को दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये सशक्त बनाया जा सके।**
- **कानूनी और न्याय प्रणाली सुधार:** कानूनी प्रणालियों को पीड़ितों और संभावित पीड़ितों की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ अभ्युक्तों के अधिकारों पर नैतिक रूप से ध्यान देना आवश्यक है।
 - जिसमें **नष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना**, साथ ही हिसा की रपिर्ट करने के लिये सामने आने वालों को **पर्याप्त रूप से सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना भी शामिल है।**
 - **सुधारात्मक और दंडात्मक न्याय दृष्टिकोणों** के बीच संवाद में सजा, नविरण तथा पुनर्वास के लक्ष्यों पर वचिर किया जाना चाहिये, साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **डजिटल हिसा को संबोधित करना:** महिलाओं के वरिद्ध डजिटल हिसा, जैसे साइबरस्टॉकमि और ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकने तथा उससे निपटने में तकनीकी कंपनियों की **नैतिक ज़िम्मेदारी है।**
 - इसमें ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने तथा उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिये मज़बूत नीतियाँ तथा उपकरण विकसित करना शामिल है।
 - महिलाओं की अभिव्यक्तकी स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतबंधित किये बिना उनके लिये सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण का निर्माण करना।
- **मीडिया की ज़िम्मेदारी:** महिलाओं के वरिद्ध हिसा की रपिर्टिंग में मीडिया की **नैतिक ज़िम्मेदारी है, जिसमें सनसनी फैलाने से बचना और पीड़ितों की गोपनीयता एवं गरमा का सम्मान करना शामिल है।**
 - मीडिया के लिये नैतिक चुनौती यह है कि **वह जनता के सूचना के अधिकार और पीड़ितों की नजिता एवं गरमा के बीच संतुलन बनाए रखे।**
- **अंतःवषियक दृष्टिकोण: रोकथाम और प्रतिक्रिया रणनीतियों को** नैतिक रूप से उन महिलाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिये जो जाति, वर्ग, वकिलांगता या यौन अभिविन्यास जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव के वभिन्न रूपों का सामना कर रही हैं।
 - इसमें महिलाओं के वविधि अनुभवों को पहचानना और वशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दृष्टिकोण तैयार करना शामिल है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** हिसा को रोकने के साधन के रूप में महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना समाज की नैतिक ज़िम्मेदारी है।
 - इसमें शिक्षा और रोज़गार में **समान अवसरों को बढ़ावा देने** के साथ-साथ उन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना भी शामिल है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखती हैं।
- **व्यापक रोकथाम रणनीतियाँ:** नैतिक रोकथाम रणनीतियों को हिसा को प्रभावी ढंग से कम करते हुए **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने हेतु**

डज़ाइन किया जाना चाहिये ।

- इसमें शिक्षा, जागरूकता बढ़ाना और हसिा के मूल कारणों को संबोधति करना शामिल है ।

नषिकरष

महलियाओं के वरिद्ध हसिा और महलियाओं की सुरक्षा से जुड़े नैतिकि वचिार जटलि तथा बहुआयामी हैं, जोमानवाधकिारों, सममान एवं समानता के बुनयिादी सदिधांतों को प्रभावति करते हैं । इस मुद्दे को नैतिकि रूप से संबोधति करने के लयिे एक व्यापक दृषटकिोण की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तरयिों की अंतरनहिति गरमिा को पहचानता है, हसिा के मूल कारणों को संबोधति तथा स्वायत्तता के सममान के साथ सुरक्षा को संतुलति करता है साथ ही और अंतःक्रयिाशीलता पर वचिार करता है ।

महलियाओं के वरिद्ध हसिा से मुक्त वातावरण वकिसति करना **सरिफ एक कानूनी या नीतगित चुनौती नहीं है**, बल्कि एक गहन नैतिकि अनविर्यता है जिसके लयिे सामाजकि मूल्यों और व्यवहारों में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है । आगे बढ़ने का रास्ता समाज के सभी स्तरों पर नरितर नैतिकि चतिन, संवाद और काररवाई की मांग करता है ।

महलियाओं, वशिषकर हसिा से सबसे अधिक प्रभावति महलियाओं की आवाज़ों और अनुभवों को केंद्र में रखकर तथा एकसहयोगात्मक, समावेशी और नैतिकि रूप से आधारति दृषटकिोण अपनाकर, हम एक ऐसे भवषिय का नरिमाण कर सकते हैं, जहाँ सभी व्यक्तर सुरक्षा, सममान तथा समानता के साथ रह सकें ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/moral-imperatives-to-combat-gender-based-violence>

